न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स /एलआर/5242/2006/अलवर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बानसूर

———प्रार्थी

बनाम

1मु0 सारली बेवा गोविन्दा निवासी बानसूर तहसील बानसूर
2. अशोक पुत्र गोविन्दा

—— अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः
श्री आर0पी0मीना, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 16.01.2020

हस्तगत रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर ने अपनी अनुशंषा दिनांक 11—5—2006 से प्रेषित किया है।

2— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बानसूर के अनुसार इन्तकाल संख्या 1378 ग्राम बानसूर तहसील बानसूर की कार्यवाही में विधि का उल्लंघन हुआ है। इन्तकाल नं0 1378 विरासत बहक सारली बेवा गोविन्दा, अशोक पुत्र गोविन्दा, गिन्दो , संतरा पुत्रियां गोविन्दा के नाम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29—11—2000 को दर्ज किया एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 2—12—2000 को जांच की गई । किन्तु ग्राम पंचायत, बानसूर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल नं0 1378 विरासत का है को मृत्तक की पुत्रियों को छोड़कर केवल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पुत्र अशोक व बेवा सारली के हक में दिनांक 7—2—2001 को स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत का यह निर्णय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर ने उक्त विवादग्रस्त इन्तकाल निरस्त करने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

3— उक्त सम्बंध में उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस का श्रवण किया गया।

4— योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में रेफरेन्स के तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि ग्राम बानसूर तहसील बानसूर में इन्तकाल नं0 1378 मृत्तक गोविन्दा की मृत्यु के कारण सरपंच ग्राम पंचायत ने पुत्रियों का नाम छोड़ते हुए अप्रार्थी सं01 व 2 के नाम ही इन्तकाल स्वीकार किया जो अवैध व गैर कानूनी

है। योग्य अधिवक्ता का कथन है कि लड़कियों द्वारा कोई हक त्याग नहीं किया गया क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में पुत्रियों के द्वारा कोई हक त्यागनामा पेश नहीं किया गया है। कानूनन मृत्तक की पुत्रियॉ अपना हिस्सा रिलीज डीड तस्दीक कराकर ही छोड़ सकती है। परन्तु बिना रिलीज के ग्राम पंचायत को कोई कानूनी अधिकार नहीं था कि वह उनके नामों को छोड़ दे। अतः रेफरेन्स को स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 1378 ग्राम बानूसर तहसील बानसूर पर पारित आदेश ग्राम पंचायत बानसूर को निरस्त किया जावे।

5— योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस करते हुए कथन किया कि हस्तगत रेफरेन्स निजी पक्षकारान के विवाद के प्रकरण में मण्डल को प्रेषित किया गया है जो कि पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपने जिरह में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया है वह विधि एवं लोकनीति के विरूद्ध नहीं है ज्यादा से ज्यादा यह पक्षकारान के मध्य विवाद हो सकता है जिसमें व्यैक्तिक पक्षकार भी उक्त नामान्तरकरण से कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहे तो वह न्यायालय के समक्ष अपनी अपील आगे प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है न ही किसी लोकनीति का उल्लंघन किया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1378 में जो दाखिल खारिज किया गया है वह सही है

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने आगे बहस करते हुए कथन किया कि उनके द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 151 प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष हक त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिया है । गोविन्दा की पुत्रियां गिन्दो व संतरा का अब इन विवादित खसरा नंबर से कोई सरोकार नहीं है। यह मात्र राजस्व कर्मचारियों द्वारा पक्षकारान को परेशान करने की नीयत से किया गया है। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे।

6— हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7— अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर ने तहसीलदार, बानसूर की इस रिपोर्ट के आधार पर कि प्रश्नगत आराजी में मृत्तक गोविन्दा के वारिसान में पुत्र व बेवा के अतिरिक्त दो पुत्रियॉ भी थी तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों को भी अधिकार प्राप्त होते है अतः प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1378 में पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों का भी नाम दाखिल किया जाना चाहिए था लेकिन पुत्रियों को छोड़कर केवल पुत्र व बेवा का नाम इन्तकाल में दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के समक्ष जो इन्तकाल सं01378 प्रस्तुत किया गया था उसमें पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा मृत्तक गोविन्दा के पुत्र व बेवा के साथ साथ दोनों पुत्रियों का नाम भी दर्ज किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत ने पुत्रियों का नाम विलोपित कर दिया था। चूंकि अब पुत्रियों द्वारा हकत्याग प्रस्तुत किया जा चुका है । अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में किसी लोक नीति का कोई उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है न ही उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृत होने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंची है। यदि विवाद का कोई बिन्दु हो सकता है तो मृत्तक को स्वत्व का हो सकता है और वह स्वंय नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर सकती है अथवा सक्षम न्यायालय में अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए

स्वतंत्र हें लेकिन दो पक्षकारों के मध्य यदि कोई स्वत्व अधिकारों का बिन्दु निहित है तो उसमें रेफरेन्स पेश करने का तर्क स्वीकार्य योग्य नहीं है।

8— प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष हकत्याग प्रस्तुत किया गया है जिसमें कोई विधिक अनियमितता होना प्रतीत नहीं होता है। उप राजकीय अधिवक्ता ने भी ऐसे कोई तथ्य नहीं बताये हैं कि इससे राज्य सरकार को किसी प्रकार की क्षति हो रही हे या किसी लोक नीति का उल्लंघन हो रहा है अथवा हकत्याग दस्तावेजों में कोई अनियमितता हो।

9— इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत अवलोकनीय है । 2012(1)आरआरटी 412 में माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने अपने निर्णय में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956—धारा 82—रेफरेन्स—दो प्राईवेट पक्षकारों के बीच विवाद—पोषणीयता—सरकारी हित अथवा लोक नीति का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं— अतः रेफरेन्स पोषणीय नहीं है व खारिज किया गया है। इसके अतिरिक्त 1987 आरआरडी 532 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः—

> Board should entertain reference only in such manner in which public policy or interest of State is adversely affected. Reference on matters in dispute between parties for whom they have other remedies should not be entertained."

इसी प्रकार 1988 RRD 648 में भी यही व्यवस्था दी गयी है किः—

> Reference to Board is an extraordinary remedy and should be resorted to in cases involving public or State interest as opposed to purely private interest. In making a reference, case should be taken to ensure that it does not become a means of providing an easier softer option to private parties as compared to normal channels of legal remedies. Section 82 is a special provision for undoing highly illegal or irregular decisions and should not be allowed to degenerate into an alternative forum for ventillation of grievance of private parties.

1993 RRD 378 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः—

> Reference for cancellation of mutation-Dispute between private parties-No Government interest or question of public policy involved-Board would not interfere even if the attention of mutation is apparently irregular.

उपरोक्त तीनों न्यायिक दृष्टांतो में निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर हमारा मत है कि हस्तगत रेफरेन्स निजी पक्षकारान के मध्य स्वत्वधिकार के विनिश्चय प्रकरण में मण्डल को प्रेषित किया गया है जो कि विचारणीय नहीं है।

10— 2005 आरआरडी पेज 303 श्रीमती प्रभाती बनाम मु0 फूली एवं अन्य में माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिमत दिया है कि—

> ''Rajasthan Land Revenue Act, Sections 82, 135- Reference against order of Addl.Collector-Held, reference relates to mutation-Dispute is between

private parties-No Govt.interest or question of public policy involved-Affected parties can file appeal in the competent court having jurisdiction against attestation of mutation or can file suit for declaration in respect of their rights-No interference is required in the disputed mutation."

11— उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं है तथा यदि कोई विवाद का बिन्दु भी उठता है तो वह निजी पक्षकारों के मध्य ही उत्पन्न होता है। जिन पक्षकारों के नाम इन्तकाल में से हटाये गये हैं उन सब के द्वारा हकत्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसे प्रकरण में जन लोक नीति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है जहॉ राज्य सरकार को कोई क्षति नहीं होती है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत रेफरेन्स पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है। अतः अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स दिनांक 11—5—2006 अपास्त किया जाता है।

12— परिणामतः हस्तगत रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य